



Neutral Citation No. - 2026:AHC:170406

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 770 वर्ष 2026

अमनदीप सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : शरद चंद राय

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता., विभव पांडे

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. श्री दिनेश कुमार सिंह (आई.पी.एस.), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर द्वारा आज न्यायालय में प्रस्तुत व्यक्तिगत शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शरद चंद राय एवं श्री ऋषभ कुमार, प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विभव पांडे तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. यह आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) की धारा 528 के अंतर्गत आरोप-पत्र दिनांक 7 मार्च, 2020, संज्ञान/समन आदेश दिनांक 23 दिसंबर, 2020, परिणामी समन आदेश दिनांक 10 नवंबर, 2022 तथा आपराधिक वाद संख्या 7425/2020 (राज्य बनाम अमनदीप सिंह) की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाद मुकदमा अपराध संख्या 702/2017, धारा 279, 337 एवं 427 भा.दं.सं., थाना गुलावठी, जनपद बुलंदशहर से उत्पन्न हुआ है तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कनिष्ठ प्रभाग)-III, बुलंदशहर के न्यायालय में लंबित है।
4. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 द्वारा 5 दिसंबर, 2017 को वाहन संख्या यूपी 16 एपी 3697 के अज्ञात चालक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि 30 नवंबर, 2017 को प्रातः 10:30 बजे वह अपने चार परिवारजनों के साथ अपने स्कॉर्पियो कार एस10 संख्या यूके 06 एजे 3948 से अपने भतीजे के विवाह समारोह में सम्मिलित होकर घर लौट रहा था। जब वह ग्राम बराल विद्युत गृह के सामने पहुँचा, तब कार संख्या यूपी 16 एपी 3697 सामने से आ रही थी। उक्त कार का चालक लापरवाही एवं तेज गति से वाहन चला रहा था और उसने सूचनादाता/प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 की कार को सामने से टक्कर मार दी, जिसके कारण उसकी कार का अगला पहिया क्षतिग्रस्त होकर गहरे गड्ढे में गिर गया और परिणामस्वरूप सूचनादाता/प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के परिवार के सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। तत्पश्चात सूचनादाता/प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 उन्हें उपचार हेतु अस्पताल ले गया और इसी कारण उसने घटना के पाँच दिन बाद, अर्थात् 5 दिसंबर, 2017 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जांच प्रारंभ हुई और जांच पूर्ण होने के पश्चात विवेचक ने 7 मार्च, 2020 को आवेदक के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया, जिस



पर संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा 23 दिसंबर, 2020 को संज्ञान लेते हुए आवेदक को समन किया गया तथा इसके पश्चात 10 नवंबर, 2022 को परिणामी समन आदेश भी पारित किया गया। अतः वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। 30 नवंबर, 2017 को जब कथित कार संख्या यूपी 16 एपी 3697 की सूचनादाता/प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 की स्कॉर्पियो कार एस10 संख्या यूके 06 एजे 3948 से दुर्घटना हुई थी, उस समय कार संख्या यूपी 16 एपी 3697 की स्वामिनी श्रीमती अनीता त्रिपाठी, पत्नी श्री जी.सी. त्रिपाठी थीं। आवेदक ने उक्त कार श्रीमती अनीता त्रिपाठी से 14 फरवरी, 2019 को खरीदी थी, जैसा कि कार संख्या यूपी 16 एपी 3697 के अंतरण पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 25 सितंबर, 2023 को आवेदक को प्राप्त सूचना से स्पष्ट है। उक्त दस्तावेजों की प्रतियां वर्तमान आवेदन के साथ दाखिल शपथपत्र में संलग्नक संख्या 5 एवं 6 के रूप में संलग्न हैं। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक के भाई श्री बलजीत सिंह तथा श्रीमती अनीता त्रिपाठी ने 17 जनवरी, 2018 को वाहन संख्या यूपी 16 एपी 3697 की जिम्मेदारी एवं दायित्व के संबंध में एक पंजीकृत करार किया था, जिसके अनुसार प्रथम पक्ष अर्थात् श्रीमती अनीता त्रिपाठी 17 नवंबर, 2018 से पूर्व वाहन के संबंध में उत्तरदायी होंगी तथा द्वितीय पक्ष अर्थात् बलजीत सिंह चालान, बीमा, पुलिस संबंधी घटना तथा वाहन से संबंधित अन्य शुल्कों के लिए उत्तरदायी होंगे। उक्त करार की प्रति वर्तमान आवेदन के साथ दाखिल शपथपत्र में संलग्नक संख्या 4 के रूप में संलग्न है। अतः आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 30 नवंबर, 2017 की उसी घटना के संबंध में वाहन संख्या यूपी 16 एपी 3697 की तत्कालीन स्वामिनी श्रीमती अनीता त्रिपाठी ने प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2



की स्कॉर्पियो कार एस10 संख्या यूके 06 एजे 3948 के चालक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो मुकदमा अपराध संख्या 700/2017, धारा 279, 337 एवं 427 भा.दं.सं. के अंतर्गत पंजीकृत हुई थी।

6. उपर्युक्त आधार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विवेचक ने बिना कोई साक्ष्य एकत्र किए तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किए बिना दुर्भावनापूर्ण आशय से 7 मार्च, 2020 को आवेदक के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत कर दिया। इसी प्रकार संबंधित मजिस्ट्रेट ने तथ्यों एवं विधि पर न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों और संबंधित अभिलेखों पर विचार किए बिना 23 दिसंबर, 2020 को उक्त आरोप-पत्र पर संज्ञान ले लिया, जो प्रथम दृष्टया अवैध है।
7. उपर्युक्त आधार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि न केवल आक्षेपित आरोप-पत्र बल्कि उपर्युक्त आपराधिक वाद की संपूर्ण कार्यवाही भी अवैध है, अतः उसे निरस्त किया जाना चाहिए।
8. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. तथा प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई उपर्युक्त दलीलों का खंडन नहीं कर सके।
9. मैंने मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ए.जी.ए. द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है, जिसमें आवेदक के विरुद्ध आरोप निर्धारित करने वाला आक्षेपित आदेश भी सम्मिलित है।
10. 31 जुलाई, 2026 को इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया था:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“1. 21 जनवरी, 2026 को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित किया था:-

“1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शरद चंद राय की ओर से उपस्थिति दर्ज कराने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषभ कुमार तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री शशिधर पांडे को सुना।

... ... ???...

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मुकदमा अपराध संख्या 702/2017, धारा 279, 337 एवं 427 भा.दं.सं. के अंतर्गत कथित घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट 30.11.2017 को अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज की गई थी, जिसमें वाहन संख्या यूपी 16 एपी 3697 तथा 'चालक' शब्द का उल्लेख था और पता अज्ञात था। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सूचनादाता धर्मपाल का बयान विवेचक द्वारा टेलीफोन पर दर्ज किया गया था, जिसमें किसी अभियुक्त का नाम उल्लेखित करने के बजाय केवल वाहन संख्या यूपी 16 एपी 3697 तथा 'चालक' शब्द का उल्लेख किया गया था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि कथित घटना 30.11.2017 को हुई थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित वाहन 14.02.2019 तक पूर्व स्वामिनी अनीता त्रिपाठी के स्वामित्व में था तथा आवेदक, जिसने बाद में उक्त वाहन खरीदा, को कथित घटना की कोई जानकारी नहीं थी और वह कथित घटना की तारीख को वाहन का चालक नहीं था। बल्कि उसने कथित घटना के बाद वर्ष 2019 में अनीता त्रिपाठी से उक्त वाहन खरीदा था, जिसे 14.02.2019 को उसके



नाम स्थानांतरित किया गया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि इसका उल्लेख उक्त वाहन के पंजीकरण प्रमाण-पत्र (आर.सी., फॉर्म संख्या 23) के नीचे किया गया है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वाहन के स्वामी के संबंध में आवेदक ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत ए.आर.टी.ओ. (प्रशासन), गौतम बुद्ध नगर के कार्यालय से सूचना भी प्राप्त की है, जिसे पेपर बुक के पृष्ठ संख्या 54 पर संलग्न किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि 07.03.2020 को न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया और संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उपर्युक्त तथ्यों की जांच करने तथा विवेचक को आगे की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने के बजाय 23.12.2020 को संज्ञान ले लिया।
6. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का प्रत्युत्तर प्रति-शपथपत्र दाखिल करके दिया जा सकता है।
7. प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 को प्रति-शपथपत्र दाखिल करने हेतु नोटिस जारी किया जाए। राज्य को भी प्रति-शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।
8. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर को भी निर्देश दिया जाता है कि वे इस आवेदन के साथ संलग्न संपूर्ण सामग्री अर्थात् आवेदन अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या 770/2026 (अमनदीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) का अवलोकन करें और अगली नियत तिथि तक प्रति-शपथपत्र के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
9. इस मामले को 13.02.2026 को नए वाद के रूप में सूचीबद्ध किया जाए।
10. अगली सूचीबद्धता की तिथि तक आपराधिक वाद संख्या 7425/2020 (राज्य बनाम अमनदीप सिंह), जो मुकदमा अपराध संख्या 702/2017, धारा 279, 337 एवं 427 भा.दं.सं., थाना गुलावठी, जनपद बुलंदशहर से उत्पन्न हुआ है तथा अपर मुख्य न्यायिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मजिस्ट्रेट (कनिष्ठ प्रभाग)-III, जनपद बुलंदशहर के न्यायालय में लंबित है, की आगे की कार्यवाही स्थगित रहेगी।

11. विद्वान ए.जी.ए. श्री शशिधर पांडे को निर्देश दिया जाता है कि वे आवश्यक कार्रवाई हेतु इस आवेदन की प्रति आदेश सहित तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर को उपलब्ध कराएं।”

2. उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में 12 फरवरी, 2026 को श्री दिनेश कुमार सिंह (आई.पी.एस.), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर द्वारा अनुपालन शपथपत्र दाखिल किया गया, जिसमें पृष्ठ संख्या 16 पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर द्वारा 9 फरवरी, 2026 को पारित आदेश की प्रति अभिलेख पर लाई गई है। उसमें उल्लेख किया गया है कि अपर पुलिस अधीक्षक, नगर, जनपद बुलंदशहर द्वारा 9 फरवरी, 2026 को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अवलोकन के बाद वर्तमान मामले की अग्रेतर जांच प्रभारी, थाना गुलावठी को सौंप दी गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 9 फरवरी, 2026 को ऐसा आदेश पारित होने के लगभग छह माह व्यतीत हो जाने के बावजूद आज तक उक्त अग्रेतर जांच पूर्ण नहीं की गई है।

4. ऐसी परिस्थितियों में इस न्यायालय ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर को निर्देश दिया कि वे अगली तिथि तक अपना व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल कर 9 फरवरी, 2026 के अपने आदेश के अनुसार की जा रही अग्रेतर जांच की वर्तमान स्थिति का खुलासा करें तथा



यह भी स्पष्ट करें कि 90 दिनों की वैधानिक अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी उक्त अग्रेतर जांच आज तक पूर्ण क्यों नहीं की गई है।

5. इस मामले को 13 अगस्त, 2026 को नए वाद के रूप में सूचीबद्ध किया जाए।
6. विद्वान ए.जी.ए. को निर्देश दिया जाता है कि आवश्यक अनुपालन हेतु दो दिनों के भीतर यह आदेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर को संप्रेषित करें।
7. कार्यालय विद्वान ए.जी.ए. को 24 घंटे के भीतर इस आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराए।
8. यदि कोई अंतरिम आदेश हो तो तब तक जारी रहेगा।
9. प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि यदि वर्तमान आवेदक को इस मामले से दोषमुक्त कर दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
10. आवेदक की ओर से आज न्यायालय में दाखिल प्रत्युत्तर शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।”
11. उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में श्री दिनेश कुमार सिंह (आई.पी.एस.), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर ने आज अपना व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल किया है, जिसमें अभिलिखित है कि अग्रेतर जांच के पश्चात आवेदक के विरुद्ध संबंधित न्यायालय के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है, क्योंकि उसके विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है।



12. ऐसी परिस्थितियों में यह न्यायालय मानता है कि अग्रेतर जांच के पश्चात 10 अगस्त, 2026 को आवेदक के विरुद्ध अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है, जिसकी प्रति व्यक्तिगत शपथपत्र के संलग्नक संख्या 1 के रूप में संलग्न है। अतः उपर्युक्त आपराधिक वाद को आवेदक के विरुद्ध लंबित रखने से न्यायहित में कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

13. तदनुसार, आवेदक के संबंध में दिनांक 7 मार्च, 2020 का आरोप-पत्र, दिनांक 23 दिसंबर, 2020 का संज्ञान/समन आदेश, दिनांक 10 नवंबर, 2022 का परिणामी समन आदेश तथा आपराधिक वाद संख्या 7425/2020 (राज्य बनाम अमनदीप सिंह), जो मुकदमा अपराध संख्या 702/2017, धारा 279, 337 एवं 427 भा.दं.सं., थाना गुलावठी, जनपद बुलंदशहर से उत्पन्न हुआ है तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कनिष्ठ प्रभाग)- III, बुलंदशहर के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही विधि की दृष्टि से कायम नहीं रह सकती। अतः उक्त सभी को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

14. वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

13 अगस्त, 2026

सुशील/-

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।